BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONAL BENCH AT BHOPAL
ORIGINAL APPLICATION NO 139/2023

IN THE MATTER OF:

KRISHNA RANI AGARWAL ....APPLICANT

VERSUS

STATE OF MADHYA PRADESH & ORS. ....RESPONDENT

INDEX

SR.	PARTICULARS	ANNEXURE	PAGE
1.	Action taken Report on behalf of MP PCB in compliance of order dated 29.05.2024		1-3
2.	Letter no. 1473 of MP PCB dated 04.07.2024 and Letter no. 1376 of MP PCB dated 24.06.2024	Annexure-1	4-6
3.	Letter no. 1494 of MP PCB dated 05.07.2024	Annexure-2	7
4.	Calculation of Environmental Compensation by MP PCB	Annexure-3	8-9

Date: 28.08.2024

Submitted by MPPCB:-

BHOPAL

through Counsel
Adv. Parul Bhadoria
Ph. No.: (+91)-8085977111;
Email: parul.bhadoria04@gmail.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONAL BENCH AT BHOPAL
ORIGINAL APPLICATION NO 139/2023

IN THE MATTER OF:

KRISHNA RANI AGARWAL ....APPLICANT

VERSUS

STATE OF MADHYA PRADESH & ORS. ....RESPONDENT

ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF MPPCB IN O.A. 139/2023 IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 29.05.2024

1. That the the Hon'ble NGT (CZ) vide order dated 29.05.2024 directed Madhya Pradesh Pollution Control Board to issue notice to the Prakash Grah Nirman Sehkari Samiti Maryadit for non-compliance of the environmental rules and to proceed with the realization of environmental compensation according to rules.

2. That in compliance to the above direction, the show cause notice was issued to Smt. Sangita Meena, Administrator, Prakash Grah Nirman Sehkari Samiti Maryadit on 24.06.2024 through letter number 1376 dated 24.06.2024 through speed post. However this notice was returned back because of incorrect address. Thereafter again another letter number 1473 dated 04.07.2024 was issued to Smt. Sangita meena, Administrator, Prakash Grah Nirman Sehkari Samiti Maryadit regarding the violations of environmental norms and the imposition of environmental compensation. The copy of these letters dated 04.07.2024 and 24.06.2024 are collectively filed herewith and marked as **Annexure -1.**

3. That in the as per the show cause notice the Board had given a time of of fifteen days to Prakash Grah Nirman Sehkari Samiti Maryadit for submission of their reply/objection to the EC imposed however no reply have been provided by them in any manner.

4. That the Board had sent another reminder letter no. 1494 dated 05.07.2024 to Prakash Grah Nirman Sehkari Samiti Maryadit for submission of the reply. The copy of the remainder letter is filed herewith as **Annexure-2**.

5. That the MP PCB had calculated the EC for non-compliance of Environmental Rules as per the CPCB Guidelines. The calculation of the EC by the MP PCB is filed herewith as **Annexure-3**.

6. That the Hon'ble Tribunal may kindly take the present action taken report on record.

Date: 28.08.2024

Submitted by MPPCB:-

Parul

BHOPAL

through Counsel
Adv. Parul Bhadoria
Ph. No.: (+91)-8085977111;
Email: parul.bhadoria04@gmail.com

Annexure I

क्षेत्रीय कार्यालय
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर,ई–5,अरेरा कॉलोनी,भोपाल
Telephone:- 0755-2466392 Email:-romppcb_bpl@rediffmail.com

क्रमांक 1473 / क्षेका / प्रनिबो / 2024 भोपाल, दिनांक 04/07 / 2024

प्रति,

श्रीमती संगीता मीना
प्रशासक (प्रकाश गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित
बिजली नगर, गोविंदपुरा, भोपाल)
गृह निर्माण सहकारी संस्था
जिला– भोपाल (म.प्र.)।

विषय:– प्रकाश गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित बिजली नगर, गोविंदपुरा, भोपाल को माननीय् एनजीटी के आदेश दिनांक 29.05.2024 के परिपालन में जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस के संबंध में।

संदर्भ:– 1. माननीय् राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच प्रकरण क्र. 139 / 2023 में दिनांक 29.05.2024 को पारित आदेश।
2. इस कार्यालय का नोटिस पत्र क्र. 1376 दिनांक 24.06.2024

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रकाश गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित बिजली नगर, गोविंदपुरा, भोपाल को माननीय् एनजीटी के आदेश दिनांक 29.05.2024 के परिपालन में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत स्थापना / संचालन सम्मति, उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु व्यवस्था एवं पर्यावरण अधिनियमों के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु इस कार्यालय के संदर्भित पत्र क्र. 2 द्वारा नोटिस स्पीड पोस्ट द्वारा प्रेषित किया गया था, जो प्रकाश गृह निर्माण सहकारी संस्था समिति के वर्तमान में क्रियाशील न होने के कारण वापस प्राप्त हुआ है। वर्तमान में आपके प्रकाश गृह निर्माण सहकारी संस्था समिति, गोविंदपुरा की प्रशासक होने की जानकारी है। अतः प्रकाश गृह निर्माण सहकारी संस्था समिति, गोविंदपुरा को कार्यालय द्वारा जारी संदर्भित नोटिस 2 की मूल प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेषित है। साथ ही माननीय् एनजीटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 की प्रति एवं इस कायोलय द्वारा शिकायत के संबंध में प्रेषित पत्र क्र. 1354 दिनांक 20.06.2024 की प्रति भी संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया पावती देने की कृपा करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

(बृजेश शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्रमांक / क्षेका / प्रनिबो / 2024 भोपाल, दिनांक / / 2024

प्रतिलिपि:–

1. आयुक्त, नगर निगम भोपाल, कुशाभाऊ बस टर्मिनल परिसर, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. संयुक्त संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, ई–5, अरेरा कॉलोनी, पर्यावरण परिसर, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(बृजेश शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

5/7/24
6319153547

Annexure 1

क्षेत्रीय कार्यालय
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर,ई–5,अरेरा कॉलोनी,भोपाल
Telephone:- 0755-2466392 Email:-romppcb_bpl@rediffmail.com

क्रमांक 1376 /क्षेका/प्रनिबो/ • भोपाल, दिनांक 25/06 /2024

प्रति,

अध्यक्ष
प्रकाश गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित
बिजली नगर, गोविंदपुरा
जिला–भोपाल (म.प्र.)

विषयः– जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण था नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत स्थापना / संचालन सम्मति, उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु व्यवस्था एवं पर्यावरण अधिनियमों के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु नोटिस।

संदर्भः– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच प्रकरण क्र. 139/2023 में दिनांक 29.05.2024 को पारित आदेश।

उपरोक्त विषयांतर्गत माननीय राष्टीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच प्रकरण क्र. 139/2023 में दिनांक 29.05.2024 को पारित आदेश का कृपया अवलोकन करें। आपकी गृह निर्माण सहकारी संस्था को क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल पर्यावरण अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण निम्नानुसार नोटिस जारी करता है :–

1. यह कि म.प्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 के अन्तर्गत हुआ है। साथ ही वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन कर रहा है;
2. यह कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के प्रावधानों के अनुसार भवन निर्माण/कॉलोनी परियोजनाओं को (बिल्टप एरिया 2000 वर्गमीटर से अधिक) निर्माण कार्य आरंभ करने के पूर्व म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विधिवत् स्थापना/संचालन सम्मति प्राप्त करना अनिवार्य है तथा 20000 वर्गफीट से अधिक क्षेत्र वाली आवासीय कॉलोनी व्यवसायिक प्रकोष्ट परियोजना को ईआईए नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 के प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करना वैधानिक आवश्यकता है।
3. यह कि जल अधिनियम 1974 एवं वायु अधिनियम 1981 के प्रावधान सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में लागू है एवं इनका पालन करना अनिवार्य है।

4. विदित हो कि स्थापना सम्मति प्राप्त किये बिना प्रोजेक्ट क्षेत्र में किसी भी प्रकार की निर्माण संबंधी गतिविधियों आरंभ करना जल एवं वायु अधिनियमों का उल्लंघन है। अतः उपरोक्त के संबंध में सूचित किया जाता है कि आप पर्यावरण अधिनियम के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें :-

1. जल/वायु अधिनियम के अन्तर्गत सम्मति प्राप्त हेतु सशुल्क आवेदन प्रस्तुत करें।
2. उत्पन्न घरेलू दूषित जल के के उपचार हेतु उपचार संयंत्र की व्यवस्था करें।
3. उपचारित दूषित जल का पुर्नउपयोग फ्लेसिंग एवं गार्डनिंग में करना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में अनुउपचारित दूषित जल का निस्सारण समीपस्थ नाले,भूमि जल स्रोतों में न करें।

आपको सूचित किया जाता है कि पर्यावरण के नियमों के क्रियान्वयन हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर इस कार्यालय को 15 दिवस के अन्दर अवगत करावें। विदित हो कि सतत् उल्लंघन की स्थिति में आपके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकती है, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी इकाई प्रबंधन की होगी।

इस पत्र को अत्यावश्यक समझें एवं प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(बृजेश शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्रमांक 1377 /क्षेका/प्रनिबो/ भोपाल, दिनांक 26/06 /2024

प्रतिलिपिः-

1. आयुक्त, नगर निगम भोपाल, कुशाभाऊ बस टर्मिनल परिसर, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सयुक्त संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, ई-5, अरेरा कॉलोनी, पर्यावरण परिसर, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(बृजेश शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

9/C

Annexure – II

क्षेत्रीय कार्यालय
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर,ई–5,अरेरा कॉलोनी,भोपाल
Telephone:- 0755-2466392 Email:-romppcb_bpl@rediffmail.com

क्रमांक 1494 /क्षेका/प्रनिबो/2024 भोपाल, दिनांक 05/07 /2024

प्रति,

श्रीमती संगीता मीना
प्रशासक (प्रकाश गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित
बिजली नगर, गोविंदपुरा, भोपाल)
गृह निर्माण सहकारी संस्था
जिला– भोपाल (म.प्र.)।

विषयः— प्रकाश गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित बिजली नगर, गोविंदपुरा, भोपाल को माननीय् एनजीटी के आदेश दिनांक 29.05.2024 के परिपालन में जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस के संबंध में।

संदर्भः— इस कार्यालय का पत्र क्र. 1473 दिनांक 04.07.2024 ।

उपरोक्त विषयातर्गत प्रकाश गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित बिजली नगर, गोविंदपुरा, भोपाल के संबंध में माननीय् एनजीटी के आदेश दिनांक 29.05.2024 की प्रति आपको इस कार्यालय के संदर्भित द्वारा प्रेषित की गई है। कृपया अवलोकन करें माननीय् राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा आदेशित किया गया है " The Madhya Pradesh Pollution Control Board will also inform avalible email or the available address to the Prakash Grah Nirman Sehkari Samiti Maryadit to submit the reply in this case within four weeks" इस आदेश के परिपालन में माननीय् राष्ट्रीय हरित अधिकरण में समय–सीमा में प्रति उत्तर प्रस्तुत करें। प्रकरण की आगामी सुनवाई 29.08.2024 नियत है। कृपया सूचित हो

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

(बृजेश शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्रमांक 1495 /क्षेका/प्रनिबो/2024 भोपाल, दिनांक 05/07 /2024

प्रतिलिपिः—

अधिवक्ता, श्रीमती पारूल भदौरिया, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(बृजेश शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure III

Calculation of Environment Compensation to be levied on Prakash Grah Nirman Society, Bijli Nagar Colony, Govindpura, Bhopal:

Environmental compensation (EC) to be levied on concerned individual/ authority as per order of Hon'ble NGT in case of OA- 129/2023 may be calculated as:

Calculation of Environment Compensation to be levied on Prakash Grah Nirman Society, Bijli Nagar Colony, Govindpura, Bhopal;

EC (Lacs Rs.) = 17.5 x (Total Sewage Generation – Installed Treatment Capacity) + 55.5 x (Total Sewage Generation –Operational Capacity) + 0.2 (Sewage Generation –Operational Capacity) x N + Marginal cost of Environmental Externality x (Total Sewage Generation –Operational Capacity)x N

Where N = Number of days from the date of direction of CPCB/SPCB/PCC till the required capacity systems are provided by the concerned authority. Quantity of Sewage in MLD.

As per above methodology, the information recorded during inspection and based on following parameters environment compensation is assessed:-

S.No.	Components of EC	Estimated Value	Remarks
1.	Water demand per day (MLD) (approx)	0.018225	Calculated for total no. of dwellings= 27 (Occupancy) Assumption as per NBC: No. of persons per family=5 Minimum domestic water supply= 135 lpcd
2.	Total Sewage Generation per day (MLD) (approx)	0.01458	Assumption as per CPHEEO Manual Sewage Generation= 0.08* water demand

A. K. BISEN
Executive Engineer
Regional Office
M.P Pollution Control Board
Bhopal

3.	Installed Treatment Capacity (MLD)	0.015	Not in operation
4	Operational Capacity of STP (MLD)	0.0	
5.	Gap in treatment of Sewage (MLD)	0.01458	Total Sewage Generation – Installed Treatment capacity of STP = -0.01542 Total Sewage Generation – Operational Treatment capacity of STP = 0.01458
6	N = Number of Days of Violation	76	No. of days (76) of violation is calculated from the date of petition filed i.e. 20/09/2023 to 05/11/2023 i.e. last inspection done by Joint Inspection team.
	As per the above data Environmental Compensation	**Rs.1.078 /-In Lacs Rs.**	**EC= 17.5*(0.01458-0.015) + 55.5*(0.01458-0.0) + 0.2*(0.01458-0.0)*76+ 0.05*(0.01458-0.0) 76** **EC= 1.31/- (In Lacs Rs.)**
.	As per Environment Compensation guidelines points 1.3.1 of f "In any case, minimum environment compensation shall be Rs. 5000 per day"	**Rs 380,000/-**	Total No. of days = 76 Environment Compensation will be **Rs. 5000*76 = 380,000/-**

Conclusion: Therefore Environmental Compensation to be levied on Prakash Grah Nirman Society, Bijli Nagar Colony, Govindpura, Bhopal is **Rs 380,000/-**

A. K. BISEN
Executive Engineer
Regional Office
M.P Pollution Control Board
Bhopal